निगम भिलाई के अधिकारी/कर्मचारियो को मिलेगा 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का लाभ

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियो के वेतन में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा सातंवा वेतनमान में दिनांक 1 मार्च 2024 से देय 46 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर 50 प्रतिशत किया गया है। आदेश के परिपालन में आयुक्त बजरंग दुबे ने नगर निगम भिलाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियो के वेतन में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश जारी किये है। नियमित कर्मचारियो को महंगाई भत्ता दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से स्वीकृत किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई में सभी नियमित अधिकारी/कर्मचारियो को अब 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते लाभ शीध्र ही दिया जायेगा। जो उनके वेतन में सीधे जुड़कर उनके खाते में भेजा जाएगा। आदेश जारी होने से निगम के सभी अधिकारी/कर्मचारी हर्षोल्लास के साथ आयुक्त को धन्यवाद दिये।